आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
31.07.2023	**वाद संख्या–33/2023** वाद सं0–33/2023 की सुनवाई दिनांक–24.07.2023 को आयोग में हुई थी। सुनवाई में शिकायतकर्ता भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। शिकायतकर्ता के आरोपों के विरूद्ध अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति शिकायतकर्ता को हाथों–हाथ उपलब्ध कराया गया था। आयोग ने दिनांक–24.07.2023 के आदेश में इस बात का उल्लेख किय था कि यदि अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा पेश किये गये जाँच प्रतिवेदन को शिकायतकर्ता ने गलत प्रमाणित करने का साक्ष्य या तथ्य दिया तो मामले की सुनवाई आयोग पुनः प्रारंभ कर सकता है। गौरतलब है कि दिनांक–28.07.2023 को आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायतकर्ता ने अपना लिखित पक्ष समर्पित किया है, जिसमें उन्होंने अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर गंभीर सवाल खड़े किये हैं। अतः आयोग इस वाद की पुनः सुनवाई दिनांक–12.09.2023 को निर्धारित करता है। आयोग शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक–28.07.2023 को भेजे गए शिकायत–पत्र की प्रति एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा पूर्व में समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को भेजते हुए पूरे प्रकरण की जाँच कर एक माह के अन्दर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश देता है। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–12.09.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति सभी सम्बन्धित पक्षों को भेजा जाए। दिनांक–12.09.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx98	